संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: ayushmission.mp@mp.gov.in

Office(0755) 2577762
Fax - (0755) 2760225

क्रमॉक/10/आयुष मिशन/24/F.No-82/ 183-84 भोपाल, दिनांक 28 /02 /2024

::आदेश::

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत संचालनालय आयुष, भोपाल मध्यप्रदेश के विज्ञापन क्रमांक 2763/2022 दिनांक 08.04.2022 के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में संविदा आधार पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) के पद पर नियुक्ति हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आयोजित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने/साक्षात्कार में भाग लेने के पश्चात् च्वाईस फिलिंग के अधार पर चयनित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) के नाम उनके सम्मुख अंकित जिलों में **कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 31 दिसम्बर 2024 तक** संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है। चयनित उम्मीदवारों को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर जिला आयुष अधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी :-

क्र	आवेदन क्रं.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	लिंग	चयनित वर्ग	आवंटित जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	AY006220009648	SAROJ KUMAR YADAV	Male	UR/X/OP	बड़वानी
2.	AY006220009990	AMIT SAHU	Male	UR/X/OP	जबलपुर
3.	AY006220006142	MOHIT DUBEY	Male	UR/X/OP	मण्डला
4.	AY006220004777	AMIT LODHI	Male	UR/X/OP	दतिया
5.	AY006220008112	SIDDHARTH SINGH THAKUR	Male	UR/X/OP	नरसिंहपुर
6.	AY006220003275	SHUBHAM SHUKLA	Male	UR/X/OP	ग्वालियर
7.	AY006220010683	ANSHU GUPTA	Male	UR/X/OP	श्योपुर
8.	AY006220010876	AASTHA RAJPUT	Female	UR/X/OP	रायसेन
9.	AY006220001725	RAMLAL KUSHWAHA	Male	UR/X/OP	कटनी
10.	AY006220000098	PRAVEEN SEN	Male	OBC/X/OP	सिवनी
11.	AY006220006874	VIKAS SUMAN	Male	SC/X/OP	विदिशा
12.	AY006220008359	HEMENDRA PATIDAR	Male	OBC/X/OP	खरगौन
13.	AY006220004842	SURENDRA KUMAR SACHAN	Male	OBC/X/OP	सागर
14.	AY006220009103	SHRADDHA SINGH	Female	UR/X/F	सीधी
15.	AY006220002866	ASHWINI GAIKWAL	Male	OBC/X/OP	डिण्डौरी
16.	AY006220005070	SONIYA SANODIYA	Female	OBC/X/F	छिन्दवाड़ा
17.	AY006220011263	NEHA SHARMA	Female	EWS/PH/F	उज्जैन
18.	AY006220000202	NARESH BABU AHIRWAR	Male	SC/X/OP	नर्मदापुरम
19.	AY006220009918	AMIT AGRAWAL	Male	EWS/X/OP	शिवपुरी
20.	AY006220010358	RINA SHUKLA	Female	UR/X/F	इन्दौर
21.	AY006220008286	SHIVAM	Male	EWS/X/OP	खण्डवा
22.	AY006220012541	NEERAJ KUMAR THAPAK	Male	EWS/X/OP	शाजापुर
23.	AY006220004683	SONALI SHARMA	Female	UR/X/F	राजगढ़
24.	AY006220000395	KAVITA KUSHWAH	Female	OBC/X/F	गुना

2...

क्र	आवेदन क्रं.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	लिंग	चयनित वर्ग	आवंटित जिला
25.	AY006220000291	SANDEEP KUMAR SAKET	Male	SC/X/OP	सतना
26.	AY006220004340	NAFIS BANO	Female	UR/X/F	धार
27.	AY006220012278	PRAFULL KHARE	Male	SC/X/OP	हरदा
28.	AY006220004344	ABHAY RAJAK	Male	OBC/PH/OP	टीकमगढ़
29.	AY006220003166	RAMESHWAR TIWARI	Male	EWS/X/OP	दमोह
30.	AY006220002370	ANAND KUMAR NARVARIYA	Male	SC/X/OP	अशोकनगर
31.	AY006220009310	ABHISHEK TIWARI	Male	UR/PH/OP	रीवा
32.	AY006220008507	HEMLATA SHARMA	Female	UR/X/F	मुरैना
33.	AY006220010641	SUKHENDRA VERMA	Male	SC/X/OP	पन्ना
34.	AY006220010971	LITISHA JAIN	Female	EWS/X/F	आगर-मालवा
35.	AY006220004123	KAMAL ACHALE	Male	ST/X/OP	झाबुआ
36.	AY006220009734	VIRENDRA SINGH MARAVI	Male	ST/X/OP	बालाघाट
37.	AY006220001218	TEENA CHOUHAN	Female	ST/X/OP	रतलाम
38.	AY006220005657	SANTOSH DAWAR	Male	ST/X/OP	अलीराजपुर
39.	AY006220011848	VANDANA NAGVANSHI	Female	SC/X/F	बैतूल
40.	AY006220001398	PRERNA BHILALA	Female	ST/X/OP	शहडोल
41.	AY006220011939	BHUPENDRA MANDLOI	Male	ST/X/OP	बुरहानपुर
42.	AY006220010628	PRASHANSA KAITHWAS	Female	SC/X/F	मन्दसौर
43.	AY006220010648	AJAY RAWAT	Male	ST/X/OP	नीमच
44.	AY006220003535	SONA DAWAR	Female	ST/X/F	छतरपुर

उक्त चयनित अभ्यर्थियों की संविदा नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

1. संविदा नियुक्ति की अवधि **कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 31 दिसम्बर 2024** तक होगी। चयनित संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) को कार्य अवधि के दौरान मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 द्वारा प्रसारित निर्देशों के पालन में आयुष संचालनालय के आदेश क्रमॉक/10/आयुष मिशन/5773 दिनांक 29.09.2023 द्वारा निर्धारित समेकित समकक्षता राशि रूपये 19,500/- पारिश्रमिक प्रतिमाह देय होगा। स्वीकृत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ता देय नहीं होंगे ।
2. संविदा DEO पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 प्रभावशील होंगे। कदाचरण या अपराधिक प्रकरण होने पर नियुक्ति प्राधिकारी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा/सकेगी।
3. DEO के लिये निर्धारित दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य रूप से करना होगा, निर्वहन न करने की स्थिति में संविदा शर्तो का उल्लंघन माना जाकर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 की कण्डिका–09 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. चयनित उम्मीदवारों को DEO के पद पर सेवाएं देने हेतु जिला आयुष अधिकारी के साथ राशि रुपये 500 के नॉनज्युडिशल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में संविदा अनुबंध निष्पादित करना होगा।
5. वार्षिक सेवा मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है और

3...

उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा अभियोजन प्रचलित न होने पर राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना सतत् संचालित होने की स्थिति में अनुबंध का नवीनीकरण समान शर्तों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगामी 01 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जावेगी तथा पुनः नवीन अनुबंध निष्पादित करने की अनिवार्यता नही होगी।

6. संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, इसके अतिरिक्त उन्हे पृथक से 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएगा।
7. संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी, जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निर्धारित हैं। इस प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरूष कर्मचारियों को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
8. उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ जिला आयुष अधिकारी में होगी, अवकाश लेखे का संधारण जिला आयुष कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
9. संविदा नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा राशि का भुगतान करके समाप्त की जा सकेगी। यदि संविदा कर्मचारी बिना विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 1 माह से अधिक अवधि के लिय अनुपस्थित रहता है तो उसकी नियुक्ति अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
10. नियुक्ति पूर्व सम्बंधित कर्मचारी को स्वप्रमाणित दस्तावेज जमा कराना होगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा एवं सेवाएं देने योग्य नहीं माना जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
11. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत DEO के पद पर चयन होने पर संविदा सेवाएं देने के पूर्व अन्य सेवा संविदा या नियमित में कार्यरत उम्मीदवारों को पूर्व कार्यरत पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा तथा पूर्व संस्था का कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व संविदा DEO स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी।
13. नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी को चरित्र अनुप्रमाणन फार्म निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
14. संविदा सेवकों पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देश क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 लागू होंगे।
15. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम–6 के प्रावधान अनुसार जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।
16. उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन किया गया है।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
वि.क.अ. सह आयुक्त/मिशन संचालक
संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

क्रमॉक/10/आयुष मिशन/24/F.No-82//184 भोपाल, दिनांक 08 /02 /2024

प्रतिलिपिः–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निज सचिव, आयुक्त आयुष, स्थानीय संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुष अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ।
5. जिला आयुष अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित चयनित अभ्यर्थी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. शाखा प्रभारी आयुष मिशन संचालनालय आयुष ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वि.क.अ. सह आयुक्त/मिशन संचालक
संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश